न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

रामपाल विश्वकर्मा तनय विशेषर विश्वकर्मा उम्र– 77 वर्ष, पेशा– मजदूरी, निबासी ग्राम– करौंदिया उत्तर टोला, तह0– गोपदबनास, जिला– सीधी (म0प्र0)

——— आवेदक / निगरानीकर्ता

निगरानी - 0350/2019/सीधी/भू.रा.

बनाम

म0प्र0 शासन

——— अनावेदक / उत्तरवादी

निगरानी विरूद्ध आदेश अधीनस्थ न्यायालय अपर कमिश्नर महोदय रीवा संभाग रीवा श्रृंखला न्यायालय सीधी (म.प्र.) (पीठासीन अधिकारी श्री बी0एस0 कुलेश) प्रकरण क्रमांक– 1337 / अपील / 2016–17 आदेश दि0–30.10.2018 जिसके द्वारा नितान्त अवैधानिक तरीके से निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील निरस्त की गयी है।

निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959

मुकेश भार्गव अभि॰
द्वारा आज दि॰ 5-3-19
प्रस्तुत। सुनवाई हेतु
दिनांक 14-3-19 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 5-3-19
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
5-3-19
ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नांकित निगरानी याचिका प्रस्तुत है:–

1. यह कि आवेदक / निगरानीकर्ता ग्राम– करौंदिया उत्तर टोला, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी में स्थित भूमि खसरा क्रमांक– 235 के अंश रकवा 645 वर्गफिट जो म0प्र0 शासन के स्वामित्व की भूमि है पर काबिज, काश्त होकर उस पर मकान बनाकर अर्सा 50–52 वर्ष से बिजली, नल का कनेक्शन लेकर सपरिवार निवास करता चला आ रहा है इसी भूमि पर आवेदक के तीन पुत्र अलग–अलग निवास करते हैं इस भूमि पर आवेदक / निगरानीकर्ता के उक्त तीनों पुत्र हिस्साबांट कर अलग–अलग

(१०)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-0350/2019/सीधी/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। उन्हें ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी के सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। उक्त तथ्य के आधार पर यह निगरानी ग्राहय योग्य न होने से अग्राहय की जाती है। **(बी.एम. शर्मा)** **सदस्य**	